सरकारी विद्यालयों के जर्जर भवन की मरम्मत की मांग को लेकर कोटा में प्रदर्शन

दंडवत कर हेलमेट पहनकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा

कोटा, (निसं)। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों के जर्जर भवन की मरम्मत करवाने की मांग को लेकर एवं जिस प्रकार छात्र-छात्राओं को खतरे के कारण विद्यालयों के बाहर शिक्षा ग्रहण करनी पड रही है।

हालात यह है कि भवनों के अंदर हेलमेट पहनना पड़ रहा है। इसके विरोध में राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव यश गौतम के नेतृत्व में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हेलमेट पहनकर दंडवत कर कलेक्टर पीयूष सामरिया को ज्ञापन सौंपा एवं मरम्मत करवाने की मांग की। यश गौतम ने बताया कि जहां एक ओर सरकार शिक्षा को लेकर बड़े-बड़े वादे कर रही है वहीं दूसरी ओर जर्जर भवन छात्र छात्राओं के जीवन के लिए बड़ा खतरा बने हुए है।

प्रदेश के 90 प्रतिशत विद्यालयों को मरम्मत की आवश्यकता है। खतरा होने के कारण विद्यालय भवन के बाहर कक्षाएं संचालित की जा रही है। कुछ दिनों पूर्व झालावाड़ में जर्जर विद्यालय में हुए हादसे से भी सरकार ने सबक नहीं लिया है।

कोटा में सरकारी विद्यालयों के जर्जर भवन की मरम्मत करवाने की मांग को लेकर युवा कांग्रेस ने हेलमेट पहनकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा ।

- प्रदेश के 90 प्रतिशत विद्यालयों को मरम्मत की आवश्यकता है। खतरा होने के कारण विद्यालय भवन के बाहर कक्षाएं संचालित की जा रही है। कुछ दिनों पूर्व झालावाड़ में जर्जर विद्यालय में हुए हादसे से भी सरकार ने सबक नहीं लिया
- युवा कांग्रेस द्वारा अभियान चलाकर आंदोलन किया जाएगा

इन छात्र-छात्राओं के जीवन की सुरक्षा करना सरकार का दायित्व है लेकिन सरकार अपनी आँखें बंद किए बैठे है। यह उनके जीवन के साथ बड़ी लापरवाही है। इसे लेकर हाई कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की है। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद केंद्र से विद्यालयों की मरम्मत के लिए बजट ना आना सरकार के दोहरे चरित्र को दर्शाता है। छात्र-छात्राएं हेलमेट पहनकर अध्ययन करने को मजबूर है। इसी के विरोध में हेलमेट पहनकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा एवं विद्यालयों में अध्ययन कर रहे छात्र छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए विद्यालयों के जर्जर भवन की मरम्मत करवाने की मांग की हैं।

भवनों की यही दुर्दशा रहती है तो युवा कांग्रेस द्वारा इसके खिलाफ अभियान चलाकर बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से प्रदेश सचिव मयंक चतुर्वेदी, महमूद खान, दिनेश लोधा, लखन वर्मा, सुनील कुमार, रक्षक मालवीय, पुष्पेंद्र हाड़ा, नरेंद्र सुमन एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

सचिन पायलट ने पूर्व मंत्री भडाणा को श्रद्धा सुमन अर्पित कर किया नमन

- पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री राजेन्द्र सिंह राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, गुर्जर नेता विजय बेसला सहित वरिष्ठ नेता किशनगढ़ बास के गांव बघेरी कला में भाजपा के नेता एवं पूर्व मंत्री हेमसिह भडाणा के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे

किशनगढ़ बास,(निसं)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री राजेन्द्र सिंह राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, गुर्जर नेता विजय बेसला सहित वरिष्ठ नेता किशनगढ़ बास के गांव बघेरी कला में भाजपा के नेता एवं पूर्व मंत्री हेमसिह भडाणा के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे थे।

बुधवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेन्द्र राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, विजय बेसला, पूर्व विधायक रामहेत यादव ने दिवंगत भाजपा नेता हेमसिह भडाणा को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी वहीं सचिन पायलट मंगलवार को देर रात करीब 9 बजे बघेरी कला संवेदना व्यक्त करने पहुंचे थे। इस दौरान कांग्रेस नेता सचिन पायलट के साथ सांसद मुरारीलाल मीणा, पूर्व मंत्री शकुंतला रावत, वरिष्ठ कांग्रेस नेता चंद्रभान भडाणा, विधायक मनीष यादव, पूर्व विधायक जी.आर. खटाना, पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर, कांग्रेस अध्यक्ष बलराम यादव, नवीन खैरिया, पूर्व प्रधान दयाराम चावड़ा भी शोक व्यक्त करने भडाणा के निवास पर पहुंचे थे।

भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री राजेन्द्र राठौड़, विजय बेसला, पूर्व विधायक रामहेत यादव व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट सहित कांग्रेस नेताओं ने परिजनों का ढांढस बंधाया और कहा हेमसिह भडाणा जन जन के लोकप्रिय नेता के साथ सच्चे जनसेवक थे। हमेशा अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाते थे।

गुर्जर नेता विजय बैंसला ने हेमसिह भडाणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए इसे समाज और राजनीति दोनों के लिए अपूरणीय क्षित बताया। उन्होंने कहा कि हेमसिंह भड़ाणा एक विराट व्यक्तित्व के धनी थे और गुर्जर समाज की सशक्त आवाज के रूप में हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़े रहे।

बिना सजा के छह साल से जेल में आरोपी, हाइकोर्ट ने जताई चिंता

- सरकार की ओर से जमानत का विरोध करते हुए दावा किया गया कि ट्रायल में देरी आरोपी की वजह से है। वह चार्ज फ्रेमिंग पर दलीलें देने के लिए 60 बार से अधिक सुनवाई स्थगित करवा चुका है। आरोपी के खिलाफ 38 अन्य मामले दर्ज हैं, और यह करोड़ों के घोटाले का केस है, इसलिए गंभीरता को देखते हुए जमानत ना दी जाए

जोधपुर, (कासं) । राजस्थान हाईकोर्ट ने बिना सजा के ही आरोपी को 6 साल से अधिक समय जेल में रखने पर गहरी नाराजगी जताते हुए इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का घोर उल्लंघन करार दिया।

जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी के पूर्व चेयरमैन शैतान सिंह को जमानत देते हुए कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि जब न्यायिक प्रक्रिया खुद दंड देने का रूप धारण कर ले, तो यह कानून के राज के लिए बेहद खतरनाक संदेश है।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव सुराणा ने बहस में बताया कि आरोपी के खिलाफ दर्ज धाराओं में अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान है। वह 20 सितंबर 2019 से यानी 6 साल 4 महीने से जेल में है। एसओजी ने 2020 में जांच पूरी कर ली, लेकिन उसके पास से कोई वसूली नहीं हुई। मामले में सह-आरोपी देवी सिंह समेत 12 अन्य को पहले ही जमानत मिल चुकी है। सबसे बड़ी बात, ट्रायल शुरू होने से पहले चार्ज फ्रेम ही नहीं हुए हैं, ऐसे में मुकदमा लंबा खिंचेगा।

सरकार की ओर से जमानत का विरोध करते हुए दावा किया गया कि ट्रायल में देरी आरोपी की वजह से है। वह चार्ज फ्रेमिंग पर दलीलें देने के लिए 60 बार से अधिक सुनवाई स्थगित करवा चुका है। आरोपी के खिलाफ 38 अन्य मामले दर्ज हैं, और यह करोड़ों के घोटाले का केस है, इसलिए गंभीरता को देखते हुए जमानत ना दी जाए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने इसे न्याय व्यवस्था की पूर्ण विफलता बताते हुए चिंता जताई। न्यायमूर्ति ने कहा कि कोई आरोपी तब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक उसका अपराध कानूनी रूप से सिद्ध ना हो। सालों जेल में रखना सजा देने जैसा है, जो संविधान की आत्मा के विरुद्ध है। देरी का ठीकरा सिर्फ आरोपी के सिर नहीं फोड़ा जा सकता, खासकर जब अभियोजन पक्ष खुद तत्परता नहीं दिखा रहा।

जोधपुर में नाबालिग की मौत, पिता ने लगाया हत्या का आरोप

- नाबालिग की मां अपने पूर्व पति को छोडक़र अलग रहने लग गई थी। नाबालिग भी मां के साथ ही थी। ऐसे में नाबालिग की मौत के बाद पूर्व पति ने आरोप लगाया कि उसकी हत्या की गई हैं
- श्मशान घाट पर सात घंटे तक पड़ा रहा शव, पोस्टमार्टम के बाद हुआ अंतिम संस्कार

जोधपुर, (कासं) । जिले के बोरुंदा कस्बे में 17 साल की नाबालिग लडक़ी की मौत के बाद परिजनों के बीच विवाद हो गया। इसके चलते श्मशान घाट पर करीब सात घंटे तक शव का अंतिम संस्कार नहीं हो सका। शक और आपत्ति के चलते पुलिस को बीच में आना पड़ा और शव को बोरुंदा राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। इसके बाद सीएमएचओ के आदेश पर गठित मेडिकल बोर्ड से आज पोस्टमार्टम करवाया गया। बाद में दोनों पक्षों की रजामंदी से अंतिम संस्कार किया गया।

बता दें कि नाबालिग की मां अपने पूर्व पति को छोडक़र अलग रहने लग गई थी। नाबालिग भी मां के साथ ही थी। ऐसे में नाबालिग की मौत के बाद पूर्व पति ने आरोप लगाया कि उसकी हत्या की गई है। थानाधिकारी सुजानाराम विश्नोई ने बताया कि गत तीन फरवरी को महिला पुलिस थाना बालोतरा के माध्यम से सूचना मिली कि बालोतरा निवासी प्रियंका पुत्री अशोक कुमार लखारा की मृत्यु को लेकर उसके एक पक्ष के परिजनों को संदेह है और वे अंतिम संस्कार पर आपत्ति जता रहे हैं। सूचना मिलते ही बोरुंदा पुलिस मौके पर पहुंची और अंतिम संस्कार रुकवाया। उस समय युवती का अंतिम संस्कार उसके नाते आए परिवार द्वारा किया जा रहा था, जिसमें सौतेला पिता प्रवीण लखारा, माता बसंती देवी, दादा चंपालाल, चाचा नरपत सहित करीब ग्रामीण मौजूद थे। पुलिस ने बताया कि बाड़मेर निवासी मुकेश लखारा, मीरा देवी, अशोक लखारा (मृतक के पिता), कमल किशोर व कनका देवी सहित अन्य परिजनों ने मृत्यु को संदिग्ध बताते हुए अंतिम संस्कार पर रोक लगाई और मौके पर पहुंचे।

वर्तमान परिजनों के मुताबिक लडक़ी कुछ समय से बीमार थी, जिसका जोधपुर में इलाज चल रहा था। दो फरवरी रात करीब 8.30 बजे मथुरादास माथुर अस्पताल में उसकी मौत हो गई।

बोरुंदा पक्ष का कहना है कि डॉक्टरों ने किडनी फेलियर को मौत की वजह बताया लेकिन पिता अशोक कुमार की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रखवाया। विवाद को देखते हुए सीएमएचओ के निर्देश पर मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया।

एक किलो अफीम जब्त

कोटा, (निसं)। कनवास पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान कार्यवाही करते हुए एक कार से 13 किलो 820 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा चुरा एवं 1 किलो 079 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम को जप्त कर दो तस्करों को गिरफतार किया है। पुलिस टीम द्वारा पकड़े गये मादक पदार्थ की अन्तर्राष्टीय बाजार में कीमत 7 लाख 46 हजार 800 रूपये करीब है।

घर में घुसकर चोरी करने वालें तीन आरोपी गिरफ्तार

- चोरों ने मकान में दबिश देकर सोने चांदी के जेवर सहित दो लाख रुपए नगदी किए थे पार

सादुलपुर, (निसं)। निकटवर्ती गांव जयपुरिया पट्टा गांव में गत एक महापूर्व लगभग हुई चोरी के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर तीन दिन का पुलिस रिमांड लिया है। बुधवार शाम छः बजे मिली जानकारी में थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि मामले में आरोपी गुरप्रीत उर्फ गुरी बावरी उम्र 24 साल निवासी बावरीया वाली ढाणी तहसील पीलीबंगा पुलिस थाना हनुमानगढ तथा नानकराम उर्फ अमन कुमार बावरी उम्र 26 साल निवासी हरनामें वाली ढाणी तहसील सूरतगढ श्रीगंगानगर एवं काका सिंह बावरी (22) निवासी गीदड खेडा तहसील डब्बावाली पुलिस जिला सिरसा हरियाणा को गिरफ्तार किया है।

उन्होंने बताया कि तीनों आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया जहां न्यायाधीश ने पूछताछ के लिए तीन दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों से पूछताछ कर मामले में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ-साथ चोरी का सामान बरामद करने की कार्रवाई करेंगे।

महावीर सिंह ने मामला दर्ज करवाकर बताया कि 26 दिसंबर 2०25 की रात्रि वह खाना खाकर अपने घर में सो रहा था। रात्रि करीब 3 से 4 बजे के बीच अज्ञात चोर उसके घर में घुस आए और घर में रखी एक पेटी चोरी कर ले गए। चोरी गई पेटी में दो जोडी चांदी की पाजेब, दो सोने की अंगूठियां, दो सोने सोने की नाक की बालियां, दो चांदी की अंगूठियां, एक चांदी की गंठी ओर नकद ०2 लाख 1० हजार रुपये रखे हुए थे। पीडित ने दर्ज मामले में बताया कि 27 दिसंबर 2०25 की सुबह करीब ०5 बजे उसे रेलवे लाइन के पास वही पेटी खाली अवस्था में मिली, जिसका ताला टूटा हुआ था और कपडे बिखरे पडे थे, घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची।

बाईक सवार बदमाशों ने की फायरिंग

कोटा, (निसं)। उद्योग नगर थाना इलाके में मंगलवार देर रात्रि को इलाके में स्थित चाय की दुकान पर बैठे युवक पर बाईक सवार बदमाशो ने फायरिंग कर दी, गनीमत रही की गोली युवक के पेट को छुकर निकल गई और युवक बाल-बाल बच गया। अचानक हुए घटनाक्रम से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मौके पर घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया और हमलावरों की तलाश के लिये शहर में नाकाबंदी की। उघोग नगर थानाधिकारी जितेन्द्र सिंह ने बताया कि मंगलवार देर रात्रि को इलाके के कैथून रोड़ पर स्थित एक चाय की दुकान पर रायपुरा निवासी अंकित चंदेल बैठा हुआ था, तभी बाईक पर सवार आये बदमाशों ने अचानक से अंकित पर फॉयर कर दिया।

विपक्ष देख रहा मुंगेरीलाल के सपने : केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह

- जोधपुर दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील पर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर जमकर पलटवार किया

जोधपुर, (कासं) । केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब आर्थिक महाशक्ति बनने की उस दहलीज पर खड़ा है, जहां से पीछे मुडक़र देखना नामुमकिन है। शेखावत ने यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के साथ हुए समझौतों पर बड़ा बयान देते हुए इसे मदर ऑफ ऑल डील्स बताया।

जोधपुर दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील पर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर जमकर पलटवार किया। उन्होंने तीखा तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष अभी अंधेरे में तीर चला रहा है। वह मुंगेरीलाल के सपने देख रहा है। जब डील का मसौदा ही सामने नहीं आया, तो आरोप किस बात के?

शेखावत ने कहा कि विपक्ष का विरोध सिर्फ दीवा स्वप्न जैसा है। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए विपक्ष झूठ का पहाड़ खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जनता हकीकत जानती है। शेखावत ने केंद्र सरकार के बजट और अमेरिका के साथ हुई ऐतिहासिक ट्रेड डील को भारत के लिए गेमचेंजर करार दिया है। उन्होंने साफ कहा कि अब भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी धाक जमाई है, उससे देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्रांति आने वाली है। यह सिर्फ एक समझौता नहीं है, बल्कि भारत के एक्सपोर्ट (निर्यात) के लिए वह खुला आसमान है जिसकी कल्पना पहले कभी नहीं की गई थी। शेखावत के मुताबिक, इन डील्स से भारत में रोजगार और निवेश की बाढ़ आने वाली है।

बजट को देश का भविष्य बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह मोदी सरकार का 11 साल में 12वां बजट है, जो सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि 2047 के विकसित भारत का रोडमैप है।

आरोपी डिटेन

उदयपुर, (कासं)। शहर के सूरजपोल थाना पुलिस ने हतया के प्रयास में तीन वर्ष से फरार इनामी अभियुक्त को डिटेन किया। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश प अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा,पुलिस उप ाधीक्षक सूर्यवीरसिंह के सुपरविजन में सूरजपोल थानाधिकारी रतनसिंह के नेतृत्व में गठित दल ने प्रकरण संख्या 196/2023 धारा 307,326,34 भादस में वांछित विधी से संघर्षरत बालक को पालनपुर गुजरात से डिटेन किया गया।

शिक्षा विभाग का कनिष्ठ सहायक गिरफ्तार

ऑडिट में पकडी गई 15.21 लाख की गड़बड़

- विभाग ने आरोपी को राशि जमा कराने का नोटिस दिया, जिसके जवाब में उसने 5 लाख और 10.21 लाख रुपए के दो चेक दिए थे

डूंगरपुर, (निसं)। जिले की धम्बोला थाना पुलिस ने सीमलवाडा ब्लॉक के सीबीईओ कार्यालय के तत्कालीन कनिष्ठ सहायक को गिरफ्तार किया है। उस पर 15 लाख 21 हजार 549 रुपए के गबन का आरोप है। यह मामला ऑडिट के दौरान सामने आया था। वर्तमान ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी लक्ष्मण कुमार डामोर ने धम्बोला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन कनिष्ठ सहायक और कैशियर अनिल लौहार ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सरकारी धन में हेराफेरी की। आरोपी वर्ष 2008 से 2016 के बीच कैशियर के पद पर कार्यरत था। अनिल लौहार पर सरकारी 15 लाख 21 हजार 549 रुपए की राशि का गबन करने का आरोप है। गबन का खुलासा ऑडिट और भौतिक सत्यापन के दौरान हुआ था। विभाग ने आरोपी को राशि जमा कराने का नोटिस दिया, जिसके जवाब में उसने 5 लाख और 10.21 लाख रुपए के दो चेक दिए थे।

हालांकि,बैंक में पर्याप्त राशि न होने के कारण ये चेक बाउंस हो गए। विभाग की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इसी मामले में पुलिस ने आज निलंबित चल रहे तत्कालीन कनिष्ठ सहायक अनिल लौहार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उससे आगे की पूछताछ कर रही है।

रतनपुर बॉर्डर पर कंटेनर से 5.50 लाख की शराब जब्त

- ड्राइवर की सीट के ऊपर गुप्त केबिन में छुपा रखी थी,ड्राइवर गिरफ्तार

डूंगरपुर। जिले की बिछीवाडा थाना पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर एक कंटेनर से 5.50 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की है। पुलिस ने कंटेनर ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई एसपी के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन स्वच्छता के तहत की गई।

बिछीवाडा थाने के सीआई ने बताया कि एसपी के निर्देश पर अवैध शराब और अन्य मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत बिछीवाडा थाना पुलिस राजस्थान-गुजरात के रतनपुर बॉर्डर पर नाकेबंदी कर रही थी। नाकेबंदी के दौरान पुलिस को मुखबिर से अवैध शराब तस्करी की सूचना मिली। सूचना के आधार परए पुलिस ने उदयपुर की ओर से आ रहे एक कंटेनर को रुकवाया और उसकी तलाशी ली। कंटेनर के अंदर चोको फ्लेक्स और कॉर्न फ्लेक्स भरे हुए थे। मुखबिर की सूचना पुख्ता होने के कारण पुलिस ने कंटेनर की गहन तलाशी ली। इस दौरान कंटेनर के केबिन में ड्राइवर की सीट के ऊपर एक गुप्त केबिन बना हुआ मिला, जिसमें हरियाणा निर्मित शराब के कार्टन भरे हुए थे। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत कंटेनर को जब्त कर लिया और उत्तर प्रदेश निवासी ड्राइवर निजाम खान को गिरफ्तार किया। कंटेनर से शराब के 44 कार्टन बरामद हुए,जिनकी बाजार कीमत लगभग 5 लाख 50 हजार रुपये बताई जा रही है। पुलिस चालक से आगे की पूछताछ कर रही है।

बिछीवाडा थाना पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर एक कंटेनर से 5.50 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की।

आनासागर वेटलैंड क्षेत्र में सीजिंग की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर

राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला निरस्त

अजमेर, (कासं)। आनासागर वेटलैंड क्षेत्र में अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा की गई सीजिंग की कार्रवाई को सर्वोच्च न्यायालय ने उचित ठहराया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें प्राधिकरण को संपत्ति की सीज खोलने के निर्देश दिए गए थे। इस निर्णय से एडीए प्रशासन को बड़ी राहत मिली है और वेटलैंड क्षेत्र में नियमों के उल्लंघन पर लगाम कसने का रास्ता साफ हो गया है।

मामला आनासागर झील के निकट स्थित भूमि से जुड़ा है, जहाँ 'जय टील कंसलटेंट' द्वारा बिना भू-उपयोग परिवर्तन कराए और बिना मानचित्र स्वीकृति के बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक निर्माण कर व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। इन अनियमितताओं को देखते हुए एडीए ने 15 जुलाई 2025 को नोटिस जारी कर संपत्ति को सीज करने की कार्रवाई की थी।

हाईकोर्ट का आदेश और अवमानना का तर्क - इस सीजिंग के खिलाफ संबंधित फर्म ने राजस्थान उच्च न्यायालय (जयपुर पीठ) में अवमानना याचिका (696/2024) दायर की थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि वर्ष 2012 के एक अंतरिम आदेश के अनुसार, उन्हें बिना न्यायालय की अनुमति के भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता था। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने 18 सितंबर 2025 को सीज खोलने का आदेश जारी किया था।

हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध एडीए ने सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की। प्राधिकरण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बलबीर सिंह और अजय सिंह ने पैरवी करते हुए स्पष्ट किया कि 2012 का आदेश केवल 'बेदखली' रोकने से संबंधित था, न कि अवैध निर्माण को संरक्षण देने के लिए। एडीए ने तर्क दिया कि बिना अनुमति के किए गए अवैध निर्माण को सीज करना प्राधिकरण का वैधानिक अधिकार है।

एक करोड़ की अवैध शराब मय ट्रक जब्त, आरोपी गिरपतार

ट्रक में पंजाब निर्मित अवैध शराब के आठ सौ कार्टन जब्त कर एक तस्कर को गिरपतार किया

रेवदर, (निसं)। रेवदर के निकट मंडार पुलिस ने बुधवार को ट्रक में पंजाब निर्मित अवैध शराब के आठ सौ कार्टन जब्त कर एक तस्कर को गिरपतार किया। जब्तशुदा शराब व ट्रक की बाजार कीमत करीब एक करोड बीस लाख रूपये आंकी गई है ।

सिरोही पुलिस ने पिछले 6 महिनों में अवैध शराब तस्करी के विरूद्ध कुल 28 बडी कार्यवाहियां कर कुल 6680 कार्टन अवैध शराब सहित कुल 16 ट्रक व 12 छोटे वाहन जब्त किए ।

मंडार थानाधिकारी प्रवीणकुमार आचार्य के नेतृत्व में मंगलवार मध्यरात्रि को शराब तस्करी के विरुद्ध बडी कार्यवाही करते हुए टोल प्लाजा मण्डार के पास नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक से पंजाब निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब के 800 कार्टन जब्त किये जाकर 1 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

कैलाशचंद सहायक उप निरीक्षक पुलिस मय जाब्ता द्वारा टोल प्लाजा मण्डार के पास नाकाबंदी के दौरान सिरोही-रेवदर की तरफ से आये ट्रक की गहनता से चैकिंग की गई तो उक्त वाहन ट्रक में सोयाबडी भरे प्लास्टिक के कट्टों के नीचे तस्करी के आशय से छिपाकर पंजाब राज्य निर्मित अवैध शराब के कार्टन भरे हुये पाये जाने पर वाहन ट्रक में भरे सोयाबडी भरे प्लास्टिक के कट्टों को हटाकर उक्त कट्टों के नीचे छिपाकर भरे हुये अवैध पंजाब निर्मित शराब के 800 कार्टन पाये गये। जिस पर वाहन के चालक गणेशाराम के कब्जे से ट्रक में भरी अवैध शराब को जब्त कर अभियुक्त गणेशाराम को गिरफ्तार किया गया। अवैध शराब से भरे ट्रक को पंजाब-हरियाणा से प्राप्त कर कोटपुतली-बहरोड, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, पाली होते हुये गुजरात राज्य में सप्लाई के लिये मण्डार तक पहुंचना बताया गया है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त से शराब लाने व सप्लाई देने के सम्बंध में अनुसंधान किया जा रहा है। पुलिस ने गणेशाराम पुत्र प्रेमाराम जाति नायक उम्र 33 साल निवासी परसनेउ पुलिस थाना राजलदेसर जिला चुरू को गिरपतार किया।